


136



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2011-12 शिवपुरी

श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री हरीशंकर धाकड़
निवासी- ग्राम-खरई, तहसील-कोलारस
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. दुलारी पत्नी श्री सीताराम धाकड़,
निवासी-ग्राम-खरई, तहसील-कोलारस,
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)
2. तहसीलदार कोलारस, शिवपुरी

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 09/11-12 निगरानी श्रीमती सरस्वती बाई बनाम श्रीमती दुलारी आदेश दिनांक 06-06-2012 को पारित ।

निगरानी के आधार :-

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :-

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है
3. यह कि, एस.डी.ओ. के आदेश दिनांक 30.08.2011 के खिलाफ अपर आयुक्त के यहां निगरानी भूलवश पेश हो गयी जिसे अपर आयुक्त न्यायालय ने दिनांक 14-09-2011 आदेश में उल्लेख किया कि निगरानी अपर कलेक्टर को होनी चाहिये तब हमने पुनः समय सीमा के अन्दर यानि एस.डी.ओ. का आदेश दिनांक 30-08-2011 के खिलाफ अपर कलेक्टर शिवपुरी के यहां निगरानी दिनांक 17-10-2011 दायरा पेश किया जाकर एस.डी.ओ. एवं तहसील रिकार्ड मंगाने

3

R-1892-II/12
श्री. कवट सिंह कुशवाह, सी.पी.
द्वारा आज दि. 28/6/12 को
प्रस्तुत
कलेक्टर और जज
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Vsingh
28/6/12
कवट सिंह कुशवाह
(रजिस्ट्रार)

शुद्ध
नियमित
दस्तावेज

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./1892/दो/2012

जिला- शिवपुरी

सरस्वती विरुद्ध दुलारी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभियोगों आदि के प्रस्ताव
28/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 09/2011-12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06/06/2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18/7/19 को आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3

(आर0के0 जैन)
सदस्य 28/5/19